न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –12/2021 (अपील)

GCMS No.2021/135

1. हीरालाल आत्मज बिहारीलाल जाति बन्जारा सुरेडा मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1 बबलेश पुत्र स्व0 हीरालाल जाति बन्जारा
1/2 अमरसिंह पुत्र बिहारी लाल जाति बंजारा
1/3 मानसिंह आत्मज श्री बिहारीलाल जाति बंजारा
1/4 तेजसिंह उर्फ मेम्बर आत्मज बिहारीलाल जाति बंजारा
निवासीगण ग्राम सुरेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. कमला पत्नि प्रभूलाल जाति मेहर निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
2. रूकमणी पत्नि परसराम जाति मेहर निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. संतोष बाई पत्नि जीतमल जाति मेहर निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. दुधालाल पुत्र कजोड जाति बैरवा निवासी पायली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 22.01.2021 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 18/2018 उनवान कमला बाई बनाम हीरालाल वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित–

1. श्री अंसार अहमद अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3

निर्णय

दिनांकः– 29.10.2024

1 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में मि0नं0 18/2018 में दिनांक 22.01.2021 को निर्णय पारित किया कि– " वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, उनके खाते की भूमि पर अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति का कब्जा विधि सम्मत नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीण को विवादित आराजी से बेदखल करके प्रार्थी को कब्जा सम्भलाया जावें ।"

2 उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 17.02.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट कमला, रूकमणी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 183–बी, आर टी एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें जाहिर किया कि प्रतिवादी अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 1.74– 1/2 को जबरन कब्जा कर रखा है उक्त आराजी हमारे खाते की आराजी जिससे प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें । उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तहकीकात किये व पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना ही महज पटवारी हल्का की

जिला कलेक्टर
कोटा

एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय जेर अपील प्रदान कर दिया है निर्णय जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है ।

3 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलबी हेतु जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र कुमार नामा का वकालतनामा पेश हुआ रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील उभयपक्ष द्वारा अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4 वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी पूर्ण प्रकिया अपनाये ही एक सरसरी तौर पर मात्र पटवारी हल्का के कथन को तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट उक्त आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 1.74 हे0 का 1/2 हिस्से पर पिछले 40 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी उनका कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट किलियर हेण्ड नहीं आये है उन्होने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्व पेश किया है । उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को जरिये इकरारनामा गुपचुप तरीके से जरिये दिनांक 19.6.18 को दूधालाल पुत्र कजोड जाति बैरवा निवासी पायली तहसील रामगंजमण्डी को बेचान कर दी गई है जिसका विवरण रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया है ना ही उसको उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है । यह तथ्य तहसीलदार की पत्रावली पर मौजूद था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे पक्षकार नहीं बनाकर निर्णय जेर अपील प्रदान किया गया है । अपीलान्ट करीब 40 वर्ष से रेस्पो0 की पूर्ण जानकारी में उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है, अपीलान्ट ने कब कब्जा किया । मात्र यह कथन कि उक्त आराजी मुनाफा काश्त पर दी गई थी तथा कब्जा नहीं छोड रहा है । कथन मान्य नहीं है, इसके उपरान्त भी आदेश जेर अपील प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट मात्र कहकर आया है कि नामान्तरकरण पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक किया गया है लेकिन उसमें क्या अनियमितता हुई उसके बारे में मौन है । रेस्पो0 स्वयं अपनी लिखित बहस में पैरा नं0 2 अपीलान्ट द्वारा जबरन कब्जा करने की बात कह रहा है और अंतिम पंक्ति में अपीलान्ट को आराजी से बेदखल कर कब्जा दिलाने की प्रार्थना करता है । ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पूर्ण कब्जा साबित है अपीलान्ट का उक्त आराजी पर काफी पुराना कब्जा साबित है । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावें ।

5 वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलांट की अपील खारिज होने योग्य है, कारण कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट की आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है । रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 गरीब, बेसहारा महिला है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिल्कुल सही निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है । अपीलांट जबरन ताकत के बल पर उपरोक्त विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है । अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है । रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 248 रकबा 1.74 हे0 की रिकार्डेड खातेदार है जिस पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर रखा है । इस कारण भी उक्त अपील खारिज होने योग्य है । रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी अपीलांट को मात्र मुनाफा काश्त पर दी थी किन्तु अपीलांट की मन में बदनियति आ जाने के कारण तथा रेस्पोडेन्ट महिला होने के कारण उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है जिन्हें बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट सव्यय खारिज फरमाई जावें ।

6 हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी में आदेश दिनांक 22.01.2021 से अप्रार्थी अपीलांट को बेदखली के आदेश करने पर दिनांक 17.02.2021 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है,

7 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य होने से तथा उनकी खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा करने से 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मौके पर कब्जा पाया जाने से तथा 42 रा0टी0एक्ट का उल्लंघन पाया जाने से अप्रार्थी अपीलांट दिनांक 22.01.2021 से बेदखली के आदेश पारित किये गये । अपीलांटगण का मुख्य कथन उक्त वादग्रस्त भूमि पर वह 40 वर्ष से काबिज होने का कथन अपनी अपील एवं लिखित बहस में किया है अन्य कोई कारण बहस में अंकित नहीं किये है । रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जाति के सदस्य होने से तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि पर नाजायजरूप से अपीलान्ट द्वारा कब्जा करना साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी अपीलांट के बेदखली के आदेश पारित किये है जो विधि अनुरूप होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8 परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.01.2021 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9 निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा